

INDIA NON JUDICIAL



Government of National Capital Territory of Delhi

₹100

e-Stamp


Certificate No. : IN-DL58237108252602V  
Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 02:54 PM  
Account Reference : IMPACC (IV) of 1077503/ DELHI/ DL-DLH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-DL DL 107750383758441361150V  
Purchased by : MD HABIBUR RAHAMAN  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) : 0  
(Zero)  
First Party : MD HABIBUR RAHAMAN  
Second Party : Not Applicable  
Stamp Duty Paid By : MD HABIBUR RAHAMAN  
Stamp Duty Amount (Rs.) : 100  
(One Hundred only)



सत्यमेव जयते

₹100₹100₹100₹100

₹100



IN-DL58237108252602V

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcisstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



**e-Stamp No. IN-DL58237108252602M**



(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

में मो० हबीबुर रहमान अध्यक्ष सबेरा फाउंडेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, 41-ए, डी० डी० फ्लैट, माता सुंदरी रोड, नयी दिल्ली-110002, शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा राफिया कॉलेज ऑफ फार्मसी, सहसवान बिसोली रोड निकट डाक बंगला (पेट्रोल पंप) सहसवान जिला बदायूँ ऊ० प्र०- 243638 नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान कि स्थापित सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित हैं।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट सबेरा फाउंडेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट में गाटा संख्या 228 एवं 9360 रकबा क्रमशः 00319 एवं 0.9360 हेक्टेयर भूमि हैं।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा हैं, और भूमि विवाद रहित हैं।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम से उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 228 एवं 9360 रकबा क्रमशः 00319 एवं 0.9360 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम कि डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान कि स्थापना किए जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट कि बैठक दिनांक 01-04-2023 को पारित किया गया हैं।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालक हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया हैं।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित समिति के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालक किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के



अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्था / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालक न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा ।

10. यह कि, संस्थान के संचालक हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।
11. यह है कि संस्था के संचालक हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ़ कि तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व क्र लिया जायेगा ।
12. यह है कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशो का भातीभाति पालन करूंगा । यदि मेरे संस्थान में किसी समय स्थलीय निरिक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधित कार्यवाही नहीं कि जाएगी ।
13. मैं घोषणा करता हु कि मेरे द्वारा गी गयी उपरोक्त सुचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी , कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही कि जा सकेगी । ऐसी कि गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा ।



*Satya Kumar*

ह० अध्यक्ष

ATTESTED

*Satya Kumar*  
NOTARY PUBLIC  
TECH (INDIA)

29 AUG 2023